रजिस्ट्री सं. डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 23—मार्च 29, 2008, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1930

No. 6] NEW DELHI, MARCH 23—MARCH 29, 2008, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2008

का.नि.आ. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)

(क) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के नियम 1 के उप-नियम 1 में, अंक "2004" के स्थान पर "2005" अंक रखे जाएंगे।

नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग (केवल समूह 'ख' पदों की दशा में) से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,–

(क) क्रम संख्यांक 1 से 13 और 17, 18 के सामने, स्तंभ 2 में, विद्यमान अंक "2004" के स्थान पर "2005" अंक रखे जाएंगे,

(ख) मेट्रान के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 13 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की संरचना जिसमें निम्नलिखित होंगे।"

(क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक या अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक —अध्यक्ष

(ख) उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक —सदस्य

(ग) उप सचिव या अवर सचिव —सदस्य

(ग) ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-1 से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्टाफ नर्स	9*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन अनौद्योगिक समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-9000 रुपए	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
[illegible]	[illegible]	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति	5000-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसी ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-2 से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ

(12)
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की संरचना जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक या अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक —अध्यक्ष (ख) उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक —सदस्य (ग) उप सचिव या अपर सचिव —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(घ) लोक स्वास्थ्य नर्स के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

''रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'ख' अराजपत्रित''

(ङ) ज्येष्ठ नर्स श्रेणी;-2 के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने,—

(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''लागू नहीं होता''

(ii) स्तंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''स्तंभ 8 में अर्हता वाली सेविकाओं में से आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा''

(च) सेविका के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने,—

(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''लागू नहीं होता''

(ii) स्तंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''स्तंभ 8 में अर्हता वाले चिकित्सा सहायकों में से आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा''

(छ) रेडियोग्राफर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''लागू नहीं होता''

(ज) फार्मासिस्ट के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 8 के सामने,—

(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''लागू नहीं होता''

(ii) स्तंभ 7 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''27 वर्ष से अनधिक''

(झ) प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''चयन''

(ञ) आपरेशन कक्ष तकनीशियन के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 10 के सामने, स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''चयन''

(ट) आपरेशन कक्ष सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन"

(ठ) वार्ड मास्टर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 12 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन"

(ड) रक्ताधान सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 13 के सामने,

(i) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"लागू नहीं होता"

(ii) स्तंभ 7 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"27 वर्ष से अनधिक"

(ढ) एम्बुलेंस ड्राइवर (श्रेणी-I) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 14 के सामने,

(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान अंकों और कोष्ठकों "42(2004)" के स्थान पर, "75 (2005)" अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन"

(ण) एम्बुलेंस ड्राइवर (श्रेणी-II) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 15 के सामने,

(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान अंकों और कोष्ठकों "53 (2004)" के स्थान पर, "65 (2005)" अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन"

(त) एम्बुलेंस ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 16 के सामने,

(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान अंकों और कोष्ठकों "120 (2004)" के स्थान पर, "65 (2005)" अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता"

(थ) चिकित्सा सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 17 के सामने,—

(i) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2610-65-2910-65-3300-70-4000"

(ii) स्तंभ 5 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन"

(द) वार्ड सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 18 के सामने, स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता"

(ध) वार्ड सहायक के पद से संबंधित क्रम [illegible] पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18क. एम्बुलेंस ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	10*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन अनौद्योगिक समूह 'ग' अननुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	चयन	नहीं	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)
अधिशेष और स्थानांतरण के समायोजन के पश्चात् प्रोन्नति द्वारा	किसी ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर श्रेणी-1 की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची से प्रोन्नति द्वारा जिसने आयुध फैक्टरी संगठन में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने पर आमेलन द्वारा

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की सरंचना जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (क) स्वास्थ्य सेवा निदेशक या अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक —अध्यक्ष (ख) निदेशक की प्रास्थिति का अधिकारी जो सदस्य/कार्मिक आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य (ग) उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक/सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 7(3)/2001/1/डी(एफवाई-1)]

कुलदीप सिंह, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र तारीख 20 अगस्त, 2005 में का.नि.आ. 88 तारीख 3 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 24th March, 2008

S.R.O. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution,the President hereby makes the following rules to amend the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Non-industrial (Para-Medical posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Para-Medical (Non-industrial/Non-Gazetted) posts (Recruitment and conditions of Service), Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Non-industrial (Para-Medical) posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules)—

(a) in rule 1 relating to 'Short title and commencement', in sub-rule (1), for the figures, "2004", the figures, "2005" shall be substituted.

(b) for rule 5, the following shall be substituted, namely,—

"5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public service Commission (only in case of Group B posts) relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

3. In the schedule to the said rules,—

(a) against serial numbers 1 to 13 and 17, 18, in column 2, for the existing figure "2004", the figure "2005" shall be substituted,

(b) against serial number 1, relating to the posts of Matron, in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substuted, namely :

"Compostition of Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :

(a) Director Health Services or Additional Director Health Services —Chairman,

(b) Deputy Director Health Services —Member,

(c) Deputy Secretary or Under Secretary —Member."

(c) after serial No. 2 relating to the post of Senior Nurse Grade-1, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Staff Nurse	9 (2008) (Subject to variation dependent on work-load)	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group-'B', Non-Gazetted	Rs. 5500-175-9000	Selection	No.	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
No.	Not applicable	Promotion	By promotion from : Senior Nurse Grade-II in the Pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade. Note : Where juniors Who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : (a) Director Health Services or Additional Director Health Services —Chairman (b) Deputy Director Health Services—Member (c) Deputy Secretary or Under Secretary—Member	Consultation with the Union Public Service Commission in necessary for amending or relaxing any provision of the rules."

(d) against serial number 4 relating to the post of Public Health Nurse, in column 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Civilians in Defence Services, Group-'B', Non Gazetted"

(e) against serial number 5 relating to the post of Senior Nurse Grade-II,—

(i) in column5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(ii) in column 11, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"By absorption of Midwife with qualification in Column 8 failing which by direct recruitment"

(f) against serial number 6 relating to the post of Midwife,

(i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,

"Not applicable"

(ii) in column 11, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"By absorption of Medical Assistant with qualification in Column 8 failing which by direct recruitment"

(g) against serial number 7, relating to the post of Radiographer, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(h) against serial number 8 relating to the post of Pharmacist,—

(i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(ii) in column 7, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,

"Not exceeding 27 years."

(i) against serial number 9, relating to the post of Laboratory Technician, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Selection"

(j) against serial number 10, relating to the post of Operation Room Technician, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Selection"

(k) against serial number 11, relating to the post of Operation Room Assistant, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Selection"

(l) against serial number 12, relating to the post of Ward Master, in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Selection"

(m) against serial number 13 relating to the post of Blood Transfusion Assistant,—

(i) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(ii) in column 7, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not exceeding 27 years."

(n) against serial number 14 relating to the post of Ambulance Driver (Grade-I),—

(i) in column 2, for the existing figures and brackets "42 (2004)", the figures and brackets "75 (2005)" shall be substituted;

(ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Selection"

(o) against serial number 15 relating to the post of Ambulance Driver (Grade-II),—

(i) in column 2, for the existing figures and brackets "53 (2004)", the figures and brackets "65 (2005)" shall be substituted;

(ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Selection"

(p) against serial number 16 relating to the post of Ambulance Driver (Ordinary Grade),—

(i) in column 2, for the existing figures and brackets "120* (2004)", the figures and brackets "65* (2005)" shall be substituted;

(ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(q) against serial number 17 relating to the post of Medical Assistant,—

(i) in column 4, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,—

"Rs 2610-60-2910-65-3300-70-4000"

(ii) in column 5, for the existing entries, the following shall be substituted, namely,

"Selection"

(r) against serial number 18 relating to the post of Ward Sahayak, in column 5, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely,—

"Not applicable"

(s) after serial number 18 relating to the post of Ward Sahayak, the following serial number and entries thereto shall be added, namely,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18A. Ambulance Driver (Special Grade)	10* (2005) (Subject to variation dependent on work-load)	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group-'C', Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection	No	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
No.	Not applicable	By promotion after adjustment of surplus and transfer	By promotion from a combined seniority list of Ambulance Driver Grade-I with three years regular service in the grade in Ordnance Factory Organisation. By absorption on passing trade test	Composition of Group'C' **Departmental Promotion Committee (for promotion)** consisting of : (a) Director Health Services or Additional Director Health Services—Chairman (b) Officer of the status of Director to be nominated by Member/Personnel, Ordnance Factory Board —Member (c) Deputy Director Health Services/Assistant Director Health Services —Member	Not applicable

[F. No. 7(3)/2001/I/D (FY-I)]

KULDIP SINGH, Under Secy.

Foot note : The Principal Rules were published in the Gazette of India dated the 20th August, 2005, vide number SRO 88 dated the 3rd August, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.